जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज

कुटेशन सूचना-

आज दिनांक 04/07/2024 समय अपराह्न 01:30 बजे क्रय समिति की बैठक अपर जिला जज कक्ष सं० 01, कासगंज के विश्राम कक्ष में आहूत हुई, बैठक में श्री अनुतोष कुमार शर्मा अध्यक्ष, क्रय समिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला जज कक्ष सं० 01, कासगंज एवं श्री घनेन्द्र कुमार सदस्य क्रय समिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय, कक्ष सं-1 कासगंज, श्री विजय कुमार-III सदस्य क्रय समिति/अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज उपस्थित रहे। क्रय समिति के समक्ष न्यायालयों में वर्चुअल हीयरिंग के प्रति जागरुक करने के लिये पैम्पलेट क्रय/छपवाये जाने हेतु प्रपत्र प्रस्तुत हुये, जिसमें क्रय समिति द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज की अनुमति आदेश दिनांक 24/05/2024 के अनुपालन में न्यायालयों में वर्चुअल हीयरिंग के प्रति जागरुकता हेतु पैम्पलेट छपवाये जाने के लिये (पैम्पलेट का नमूना संलग्न करते हुये) वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न पंजीकृत (GSTIN) फर्मों से कटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

अतः इच्छुक पंजीकृत फर्म/विक्रेता न्यायिक अधिष्ठान कासगंज के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के कार्यालय में पैम्पलेट क्रय किये जाने हेतु अपनी फर्म का कुटेशन पंजीकृत डाक अथवा स्वयं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय, कासगंज में दिनांक 15/07/2024 तक प्राप्त कराया जाना सुनिश्चत करें।

1- कुटेशन बंद लिफाफे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के कार्यालय में दिनांक 15/07/2024 तक (कार्यालय समय 10:00 बजे से शाम 03:00) तक अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेंगे।

2- कुटेशन दिनांक 15/07/2024 को सायंकाल 04:45 बजे क्रय समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के समक्ष खोले जायेंगे।

3- किसी भी कुटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज को होगा।

4- किसी भी कुटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

5- कुटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

6- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

7- भुगतान सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जयेगा। विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

8- कुटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, कासगंज में होगा।

9- कुटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी स्थिति पर विचार नहीं किया जायेगा।
क्रय किये जाने वाली सामग्री का विवरणः-

नालसा अनुदान मद से पैम्पलेट क्रय करने का विवरणः-
प्रथम प्रारूप- साइज 12X18 वर्ग इंच- 40 नग पैम्पलेट
द्वितीय प्रारूप- साइज 12X18 वर्ग इंच- 40 नग पैम्पलेट

Directed system officer to do needful
6.7.24

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- जिला सूचनाधिकारी, कासगंज को G.O.No. 562/-उन्नीस-2-2007-1007/74 (T.C) दिनांकित 04/07/2007 के अनुरूप समस्त मुख्य समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रसारित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

2- समस्त न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3- कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु।

4- समस्त सार्वजनिक स्थान कासगंज पर चस्पा करने हेतु।

5- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

उक्त कुटेशन रिपोर्ट संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के समक्ष ससम्मान प्रेषित हो।

4/7/24
(विजय कुमार-III)
सदस्य क्रय समिति,
अपर जिला जज/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कासगंज।

04/07/24
(घनेन्द्र कुमार)
सदस्य क्रय समिति,
अपर जनपद न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय कक्ष स.-1 कासगंज।

4-7-24
(अनुतोश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष क्रय समिति,
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-1 कासगंज।

Seen and approved
5.7.24
D.J